प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः– 5/ 83 /25/2018 III/2023–24 लखनऊ दिनांकः 17 जनवरी 2024

विषयः– गोबरधन परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कराये गये बायोगैस प्लांटों में मापन हेतु मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–32 दिनांक 05 जनवरी 2024 का (छायाप्रति संलग्न) सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गोबरधन परियोजन अन्तर्गत निर्मित कराये गये बायो गैस प्लांटों में मापन हेतु मीटर एक सप्ताह के अन्दर स्थापित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। किन्तु अभी तक किसी भी जनपद द्वारा मीटर स्थापित किये जाने की सूचना मिशन कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया है, जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि बायोगैस प्लांटों की कियाशीलता /संचालन सुनिश्चित कराते हुये बायोगैस तथा बायो स्लरी के दैनिक उत्पादन का विवरण मापन हेतु प्रत्येक दशा में तीन दिवस के अन्दर मीटर स्थापित कराते हुये सूचना मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
17/1/24

(राज कुमार)
मिशन निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

संख्या– 5/ /25/2018 III/2023–24)तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपनिदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
4. गोबरधन योजनान्तर्गत जनपदों में अनुबन्धित समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधिगण।

/

(एस0एन0सिंह)
उपनिदेशक (पं0)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः– 5/ /25/2018 III/2023–24 लखनऊ दिनांकः 17 जनवरी 2024

विषयः– गोबरधन परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कराये गये बायोगैस प्लांटों में मापन हेतु मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–32 दिनांक 05 जनवरी 2024 का (छायाप्रति संलग्न) सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गोबरधन परियोजन अन्तर्गत निर्मित कराये गये बायो गैस प्लांटों में मापन हेतु मीटर एक सप्ताह के अन्दर स्थापित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। किन्तु अभी तक किसी भी जनपद द्वारा मीटर स्थापित किये जाने की सूचना मिशन कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया है, जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि बायोगैस प्लांटों की कियाशीलता /संचालन सुनिश्चित कराते हुये बायोगैस तथा बायो स्लरी के दैनिक उत्पादन का विवरण मापन हेतु प्रत्येक दशा में तीन दिवस के अन्दर मीटर स्थापित कराते हुये सूचना मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राज कुमार)
मिशन निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

संख्या– 5/ 83 /25/2018 III/2023–24)तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपनिदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
4. गोबरधन योजनान्तर्गत जनपदों में अनुबन्धित समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधिगण।

(एस0एन0सिंह)
उपनिदेशक (पं0)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक:– 5/ 32 /25/2018 III/2023–24 लखनऊ दिनांक: 05 जनवरी 2024

विषय:– गोबरधन परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कराये गये बायोगैस प्लांटों में मापन हेतु मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि गोबरधन योजनान्तर्गत निर्मित बायो गैस प्लांट पर मीटर लगाकर उनकी क्रियाशीलता का अनुश्रवण किये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा वीडियो कान्फ्रन्सिग के माध्यम से दिये गये है। इस हेतु भारत सरकार के पोर्टल पर नया मॉड्यूल भी विकसित किया जा रहा है जिसमें जनपदवार एवं प्लांटवार क्रियाशीलता की सूचना नियमित रूप से प्रतिमाह 10 तारीख तक अद्यतन किया जाना होगा। अवगत कराना है कि योजना अन्तर्गत 25 घन मीटर से 140 घनमीटर तक के प्लांट निर्मित कराये गये है। जिसके लिए लगभग रूपये 10 हजार से रूपये 25 हजार तक के मीटर बाजार में उपलब्ध है।

जनपद स्तर पर बायोगैस निर्माण हेतु चयनित संस्था के माध्यम से मीटर लगाये जाने का कार्य किया जा सकता है। गोबरधन योजनान्तर्गत प्रति जनपद के लिए रू0 50 लाख की धनराशि मात्राकृत की गयी है जिस जनपद में प्लांट के निर्माण कार्य में मात्राकृत रू0 50 लाख का पूर्ण उपभोग नहीं किया गया है वहां स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की धनराशि से मीटर खरीद कर उसे स्थापित किये जाने का कार्य कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्त आयोग के टाइड फण्ड से भी यह कार्य किया जा सकता है। वित्तीय नियमों का नियमानुसार अनुपालन करते हुये ग्राम पंचायत द्वारा मीटर क्रय किये जायेगें। जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि मीटर का क्रय केन्द्रीयकृत रूप से न किया जाये।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता हैं कि बायोगैस प्लांटों की क्रियाशीलता /संचालन सुनिश्चित कराते हुये बायोगैस तथा बायो स्लरी के दैनिक उत्पादन का विवरण मापन हेतु प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर मीटर स्थापित कराना सुनिश्चित करें। जिससे उक्त सूचना से भारत सरकार को ससमय अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(राज कुमार)
मिशन निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

o/c

संख्या– 5/ 32 /25/2018 III/2023–24)तददिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपनिदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
4. गोबरधन योजनान्तर्गत जनपदों में अनुबन्धित समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधिगण।

(एस0एन0सिंह)
उपनिदेशक (पं0)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

o/c